# न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी-डी.एस.मण्डलोई)

<u>व्यवहार वाद क.–25ए / 2014</u> संस्थापन दिनांक-19.03.2013

अजय कुमार उम्र 45 वर्ष पिता घनश्याम जाति कलार निवासी बिठली तहसील बेहर जिला बालाघाट वादी की ओर से खास मुख्त्यार :-रामिकशोर चौकसे पिता लालचंद जाति कलार निवासी उकवा तहसील परसवाडा जिला बालाघाट......वादी

#### -:: ब ना म ::-

- दानबहादुर टाकरे उम्र 56 वर्ष पिता अमृतलाल जाति पंवार 1. सी./ओ. कार्यालय मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड उकवा खान
- मुरली टाकरे उम्र 42 वर्ष पिता इशुलाल जाति पंवार 2. निवासी उकवा तहसील परसवाडा जिला बालाघाट
- सेवकुमार उम्र 40 वर्ष पिता योगराज 3. निवासी उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट
- रामकुमार उम्र 57 वर्ष पिता जगन्नाथ जाति बनिया 4. निवासी उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट
- ातिवादीगण -म.प्र. राज्य तर्फे कलेक्टर महोदय बालाघाट...... 5.

- वादी की ओर से श्री बी.एल. राणा अधिवक्ता। 1.
- प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 द्वारा श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता। 2.
- प्रतिवादी क्रमांक ३, ४ द्वारा श्री गणेश गोंडाने अधिवक्ता 3.
- प्रतिवादी क्रमांक 5 एकपक्षीय। 4.

#### —:: <u>नि र्ण य</u> :: <u>(आज दिनांक- 16/02/2015 को घोषित)</u>

- वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद मौजा उकवा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. (01)-उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12 एकड़ भूमि पर कब्जा प्राप्ति, स्वत्व घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।
- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के मालिकाना हक व (02)-

आधिपत्य की भूमि मौजा उकवा प.इ.नं. 25 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12 एकड़ भूमि वादी के नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादी ग्राम बिठली में रहता है एवं उकवा आना—जाना कम होता है भूमि खाली रहने से प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण करने की वादी को जानकारी होने पर प्रतिवादीगण के समक्ष सीमांकन कराने पर पाया कि वादी की भूमि खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12डि. भूमि पर प्रतिवादी क. 1, 2 ने 0.07डि. भूमि पर बांस की बाउंड्री, प्रतिवादी क. 3 द्वारा 0.) डि. पर संज्ञास तथा प्रतिवादी क. 4 के द्वारा 0.½डि. भूमि पर अवैध निर्माण किया है। दिनांक 10.12.2012 को वादी ने पुनः प्रतिवादीगण से कहा तो विवाद कर मारने आमादा हो गये। वादी के मालिकाना हक की भूमि प.इ.नं. 25 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट की खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12 एकड़ भूमि पर कब्जा प्रदान कर स्वत्व घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रदाय की जावें।

- (03)— प्रतिवादी क. 1, 2 ने वादोत्तर प्रस्तुत कर खंडन में प्रतिदावा प्रस्तुत कर अभिवचन किये हैं कि मौजा उकवा स्थित भूमि को वर्ष 1967 में गंगाराम व. जागोबा निवासी उकवा के पास से प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता अमृतराव व. ज्ञानीराम एवं ईशुलाल व. ज्ञानीराम के द्वारा विधिवत क्रय कर खसरा नं. 156/3 में से 0.05डि. एवं खसरा नं. 157/3 में से 0.08डि. भूमि का विधिवत क्रय कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में भूमि खरीदी पश्चात संशोधन क. 213 दिनांक 01.3.1968 अनुसार राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.8.1968 अनुसार दर्ज हुआ है। तब से लगातार उक्त भू—भाग पर प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता एवं उनके पिता की मृत्यु बाद प्रतिवादी क. 1, 2 मालिक काबिज होकर चले आ रहे हैं। वादी का वाद प्रचलन योग्य न होने से, अविध बाह्य होने से, वािकत न्याय शुल्क स्टाम्प चस्पा ना होने से निरस्त किय जावे।
- (04)— प्रतिवादी क्रमांक 3, 4 ने भी वादोत्तर प्रस्तुत कर खंडन में प्रतिदावा प्रस्तुत कर अभिवचन किये हैं कि मौजा उकवा खसरा नं. 157/3 की भूमि से प्रतिवादी क. 3, 4 ने किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर हस्तक्षेप नहीं किया है। भूमि खसरा नं. 156/6 रकबा 2 डि. भूमि जो कि प्रतिवादी क. 3 के पिता ने ईशुलाल पिता दादुलाल से बतौर

रिजस्ट्री के 18.2.1991 को कय की थी व प्रतिवादी क. 3 ने इशुलाल पिता दादुलाल से 18.2.1991 को कय की थी और खसरा नं. 156/10 में ढाई डि. भूमि प्रतिवादी क. 4 को 19.4.1995 को विकय की थी और खसरा नं. 156/6 रकवा 2 डि. भूमि को रामकुमार अग्रवाल को कय की थी, जिसमें प्रतिवादी क. 4 के पास ढाई डि. भूमि व प्रतिवादी क. 3 के पास ढाई डि. भूमि शेष है। प्रतिवादी क. 3, 4 द्वारा खसरा नं. 156/6 जो कि प्रतिवादी क. 3 के पिता द्वारा ईशुलाल से खरीदी थी 18.2.1991 को रिजस्ट्री की गई व खसरा नं. 156/6 रकवा 5 डि. भूमि प्रतिवादी क. 3 व उसके भाई भरत कुमार ने 18.2.1991 को रिजस्ट्री के माध्यम से 1991 में कय की थी। वादीगण द्वारा वाद सन 2013 में लाया गया है जो अवधि बाह्य ह और सीमांकन कार्यवाही भी 2011 में की गई थी। प्रतिवादी क. 4 द्वारा वर्ष 1995 में खसरा नं. 156/10 रकवा ढाई डि. भूमि क्रय की जो वर्तमान में खसरा नं. 156/11 है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क. 3, 4 ने कौन से खसरा नं. की भूमि पर कब्जा किया है तथा चतुर्सीमा भी वाद में नहीं बताई है और ना ही सीमांकन कार्यवाही के बाद तहसीलदार के समक्ष 250 म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन पेश किया है।

(05)— वादी ने प्रतिवादी क. 1, 2 एवं 3, 4 द्वारा पेश प्रतिदावों का जवाब प्रस्तुत कर खंडन में अभिवचन किये हैं कि मौजा उकवा खसरा नं. 157/3 की भूमि पूर्व में वादी के पिता के नाम थी, वादी की पिता की मृत्यु बाद वादी का राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ है जो वर्तमान में खसरा नं. 157/3 पर वादी का नाम दर्ज है। वादी ग्राम बिठली में रहता है एवं उकवा आना—जाना कम होता है जिससे उक्त भूमि खाली रहने से प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण करने की वादी को जानकारी होने पर प्रतिवादीगण के समक्ष सीमांकन कराने पर पाया कि वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध निर्माण किया है। सीमांकन प्रतिवेदन नायब तहसीलदार बैहर के समक्ष पेश किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। खसरा नं. 157/3 में से 0.08 डि. भूमि को विधिवत क्रय करने के पश्चात् लगभग 46 वर्ष तक राजस्व प्रलेखों में नाम की प्रविष्टि ना कराना संदेहास्पद है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से प्राप्त प्रतिदावा विधि के सिद्वान्तों पर आधारित न होने से निरस्त किया जाये।

(06)— प्रतिवादी क्रमांक 5 को विधि के आलोक में पक्षकार बनाया गया है

उससे किसी प्रकार का कोई अनुतोष वांछित नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 5 बिना प्रतिरक्षा के प्रस्तुत किए पूर्व से अनुपस्थित रहा है, जिसके कारण प्रतिवादी क्रमांक 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

(07)— उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किये गये, जिनके समक्ष विधि एवं साक्ष्य की विवेचना के अनुसार न्यायालय द्वारा निष्कर्ष उल्लेखित है :—

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 157/3 रकबा 12.00 डि. प.ह.नं.	प्रमाणित नहीं
	25 मौजा उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट वादी के	
	मालिकाना हक व आधिपत्य की है ?	
2	क्या वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 157/3 रकबा 12.00 डि.	प्रमाणित नहीं
	प.ह.नं. 25 मौजा उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट पर	
	स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	
3	क्या खसरा नं. 157/3 रकबा 0.08 डि. प.ह.नं. 25 मौजा	प्रमाणित
	उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट को प्रतिवादी क्रमांक	The Paris
	1, 2 विधिवत् क्रय कर काबिज है ?	L MAN
4	सहायता एवं व्यय ?	पैरा 27 अनुसार
	700 70	

## —:: <u>सकारण निष्कर्ष</u>ः—

#### विचारणीय बिंदू क. 1 एवं 2:-

(08)— वादी साक्षी अजय कुमार चौकसे (वा.सा. 3) के अभिवचन है कि वादी के मालिकाना हक व अधिपत्य की भूमि प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. उकवा मौजा उकवा स्थित खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12 डि. खाली रहने से दानबहादुर, मुरली ठाकरे, द्वारा 07 डि., सेवकुमार द्वारा 0.½ डि. तथा रामकुमार द्वारा 0.½ डि. पर अवैध निर्माण—कब्जा जानकारी होने पर सीमांकन दिनांक 02.7.2011 को राजस्व निरीक्षक, पटवारी, गांव के लोग तथा प्रतिवादीगण की उपस्थिति में कराया। सीमांकन प्रतिवेदन नायब तहसीलदार बैहर के

समक्ष प्रस्तुत करने पर कोई आपित्त प्रस्तुत नहीं की गई। सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को कब्जा खाली करने कहा गया तब प्रतिवादीगण ने आश्वस्त किया हम अवैध कब्जा छोड़ देगें परंतु पुनः दिनांक 10.12.2012 को प्रतिवादीगण से कब्जा छोड़ने कहा तो प्रतिवादीगण विवाद कर मारने—पीटने आमादा हो गये। उसने अपने स्वामित्व की खसरा नं. 157/3 रकबा। 12 डि. भूमि पर किये अवैध कब्जा को हटाने वाद प्रस्तुत किया है।

- (09)— वादी साक्षी अजय कुमार चौकसे (वा.सा. 3) के अभिवचनों का समर्थन करते हुए वादी साक्षी रामिकशोर चौकसे (वा.सा. 1), संतोष कुमार चौकसे (वा.सा. 2) के भी अभिवचन है कि वादी के नाम मौजा उकवा में खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12 डि. भूमि खाली रहने से प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा—निर्माण किये। जिसकी जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा गालीगलौच व धमका कर भगा दिये। वादी द्वारा राजस्व न्यायालय से सीमांकन आदेश कराकर दिनांक 02.7.2011 को मौके पर राजस्व निरीक्षक, पटवारी, गांव के लोग तथा प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमांकन में पाया कि खसरा नं. 157/3 में से 7 डि. पर दानबहादुर व मुरली ठाकरे द्वारा, आधा डि. भूमि पर सेवकुमार द्वारा तथा आधा डि. भूमि पर रामकुमार द्वारा अवैध कब्जा किया है।
- (10)— वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में सीमांकन प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—1, सीमांकन पंचनामा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—2, सीमांकन फील्डबुक की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—3, सीमांकन नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—4, पांचसाला खसरा वर्ष 2008—09 से 2010—11 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—5, किश्तबंदी खतौनी प्रदर्श पी—6 तथा खसरा वर्ष 2013—14 प्रदर्श पी—7 प्रस्तुत किया गया है।
- (11)— प्रतिवादी साक्षी दानबहादुर ठाकरे (प्र.सा. 1) के खंडन में अभिवचन है कि प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता स्व. अमृतलाल ठाकरे व इसुलाल ठाकरे पिता ज्ञानीराम द्व ारा मौजा उकवा स्थित खसरा नं. 156/3 में से 0.05 डि. भूमि तथा खसरा नं. 157/3 में से रकबा 0.08 डि. भूमि मौजा उकवा निवासी गंगाराम पिता जागोबा से 1967 में क्रय कब्जा प्राप्त किया था। वादग्रस्त भूमि को विधिवत क्रय करने बाद संशोधन क. 213, दिनांक 01.3.1968 अनुसार आदेश दिनांक 10.8.1968 अनुसार नाम दर्ज हुआ तब से

प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता वादग्रस्त भूमि के मालिक काबिज है। प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता द्वारा 1967 में गंगाराम पिता जागोबा से भूमि खरीद कर हक प्राप्त किया।

(12)— प्रतिवादी साक्षी भारत कुमार (प्र.सा. 2) के भी अभिवचन है कि विवादित भूमि खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12 डि. से लगी भूमि 156/10 है, जिसे 18.2. 1991 को विक्यपत्र से इशुलाल व. दादुलाल से सेवकुमार व उसके द्वारा क्य किया था और भूमि को क्य करते समय विधिवत नाप करने के पश्चात 1991 से मालिक काबिज है। उसके द्वारा खसरा नं. 156/10 में से 0.½ डि. भूमि को रामकुमार व. जगन्नाथ अग्रवाल को 19.4.1995 को विक्रय की थी। शेष भूमि वर्तमान में 156/10 रकबा 0.010 विवादित भूमि से लगी है। 20 वर्ष बाद वादी द्वारा वाद पेश किया है जो अवधि बाह्य है। वादी ने प्रतिवादी क. 3 की कौन से खसरा नं. की जमीन पर कब्जा किया है और किस दिशा में कब्जा किया है चतुर्सीमा नहीं बताई है। विवादित भूमि से लगी भूमि खसरा नं. 156/10, 156/11, 156/6, जो कुल 0.07 डि. थी, जो प्रतिवादी क. 3 द्वारा क्य की थी और 0. 4½ डि. भूमि रामकुमार अग्रवाल को विक्य की है। प्रतिवादी क. 3 विवादित भूमि खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12 डि. से लगी भूमि खसरा नं. 157/10 का सद्माविक केता है।

(13)— प्रतिवादी साक्षी रामकुमार अग्रवाल (प्र.सा. 3) के भी अभिवचन है कि खसरा नं. 156/11 रकबा 0.2½ डि. उसके द्वारा 1995 में सेवकुमार व भारतकुमार से क्रय की है और खसरा नं. 156/6 रकबा 0.02 डि. भूमि भी प्रतिवादी क. 3 से विक्रयपत्र से क्रय किये है। सीमांकन के समय वादी उपस्थित नहीं था। उसने प्रतिवादी क. 3 से 0.2½ डि. भूमि व 0.02 डि. कुल 0.4½ डि. भूमि रिजस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। क्रय करने के बाद 156/10, 156/11 हुई है एवं 156/6 को उसके द्वारा रिजस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय कर नाप कर मालिक काबिज है जिस पर वादी को दखल देने का अधिकार नहीं है। खसरा नं. 157/3 विवादित भूमि से लगी 156/11 व 156/6 की चतुर्सीमा पूर्व में भरत की, पश्चिम में दानबहादुर, उत्तर में टुटा हुआ स्कूल, दक्षिण में खाली भूमि है। वादी को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा उसकी भूमि पर घुसने व दखल देने से स्थायी निषेधाज्ञा प्रदत्त की जावें।

- (14)— प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में विक्रयपत्र दिनांक 04.12.1967 प्रदर्श डी—1, पांचसाला खसरा वर्ष 2014—15 प्रदर्श डी—2, विक्रयपत्र दिनांक—19.4.1995 प्रदर्श डी—3, विक्रयपत्र दिनांक—18.2.1991 प्रदर्श डी—4, विक्रय पत्र दिनांक—18.2.1991 प्रदर्श डी—5, विक्रय पत्र दिनांक—19.4.1995 प्रदर्श डी—6, वर्तमान नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—7, खसरा नं. 156/11 के पांचसाला खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—8 प्रस्तुत किया है।
- (15)— वादी के अधिवक्ता का तर्क है कि मौजा उकवा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 157/3 रकवा 0.12 एकड़ भूमि पर वादी का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादी ग्राम बिठली में रहता है एवं उकवा आना—जाना कम होता है जिससे उक्त भूमि खाली रहने से प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण करने पर प्रतिवादीगण से कहने पर गालीगलौच कर धमकी दिये। वादी द्वारा नायब तहसीलदार से सीमांकन आदेश करवा कर दिनांक 02.7.2011 को राजस्व निरीक्षक उकवा, पटवारी, गांव के लोग, प्रतिवादीगण के समक्ष सीमांकन कराने पर पाया कि वादी की भूमि खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12डि. भूमि पर प्रतिवादी क. 1, 2 ने 0.07डि. भूमि पर, प्रतिवादी क. 3 द्वारा 0.½ डि. तथा प्रतिवादी क. 4 के द्वारा 0.½डि. भूमि पर अवैध निर्माण किया है। प्रतिवादीगण को कब्जा छोड़ने कहने पर भी कब्जा नहीं छोड़ा गया। दिनांक 10.12.2012 को वादी ने प्रतिवादीगण से कहा तो विवाद कर मारने आमादा हो गये। अतः वादी को वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्राप्ति, स्वत्व घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित की जावें।
- (16)— प्रतिवादी क. 1, 2 के अधिवक्ता के तर्क है कि मौजा उकवा स्थित भूमि को वर्ष 1967 में गंगाराम व. जागोबा निवासी उकवा के पास से प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता अमृतराव व. ज्ञानीराम एवं ईशुलाल व. ज्ञानीराम के द्वारा क्रय कर खसरा नं. 156/3 में से 0.05डि. एवं खसरा नं. 157/3 में से 0.08डि. भूमि का क्रय कर पंजीयन, नाप करने के बाद कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में भूमि खरीदी पश्चात संशोधन क. 213 दिनांक 01.3.1968 अनुसार राजस्व न्यायालय नायब

तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.8.1968 अनुसार दर्ज हुआ है। तब से उस पर प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता एवं उनकी मृत्यु बाद प्रतिवादी क. 1, 2 मालिक काबिज हैं। वादी का वाद विधिक त्रुटिपूर्ण है क्योंकि एक साथ कब्जा प्राप्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रचलन योग्य न होने से, अविध बाह्य होने से, वािंधत न्याय शुल्क स्टाम्प चस्पा ना होने से निरस्त किया जावे।

प्रतिवादी क. 3, 4 के अधिवक्ता के तर्क है कि मौजा उकवा स्थित (17)-वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क. 3 के पिता ने कय कर कब्जा प्राप्त किया। उनके मरणोपरांत खसरा नं. 156 / 10 में से 08डि. भूमि का क्रय कर पंजीयन, नाप करने के बाद कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में भूमि खरीदी पश्चात संशोधन क. 213 दिनांक 01.3.1968 अनुरकबा 2.50 डि. भूमि को प्रतिवादी क. 4 ने 19.4.1995 में क्रय किया। प्रतिवादी क. 3 के पिता द्वारा ईशुलाल मधुकर ने वर्ष 1990 में क्य की थी और खसरा नं. 156/10 में से ढाई डिसमिल प्रतिवादी क. 3 से 4 ने क्य किया था। प्रतिवादी क. 3 के पिता व प्रतिवादी क. 3 ने खसरा नं. 156/10, 156/6 रकबा 5 डि. भूमि दिनांक 18.2.1991 को क्रय की थी व प्रतिवादी क. 3 द्वारा खसरा नं. 156 / 6 रकबा 2 डि. भूमि 18.2.1991 को क्य की थी। जिसमें से खसरा नं. 156 / 6 की भूमि प्रतिवादी क. 3 के पिता द्वारा क्य की थी व खसरा नं. 156/6 रकबा 5 डि. भूमि प्रतिवादी क. 3 द्वारा क्रय की थी। खसरा नं. 156/6 रकबा 2 डि. भूमि जो कि प्रतिवादी क. 3 के पिता ने ईशुलाल पिता दादुलाल से बतौर रजिस्ट्री के 18.2.1991 को कय की थी व प्रतिवादी क. 3 ने इशुलाल पिता दादुलाल से 18.2.1991 को कय की थी और खसरा नं. 156 / 10 में ढाई डि. भूमि प्रतिवादी क. 4 को 19.4.1995 को विक्रय की थी और खसरा नं. 156 / 6 रकबा 2 डि. भूमि को रामकुमार अग्रवाल को कय की थी, जिसमें प्रतिवादी क. 4 के पास ढाई डि. भूमि व प्रतिवादी क. 3 के पास ढाई डि. भूमि शेष है। प्रतिवादी क. 3, 4 द्वारा खसरा नं. 156 / 6 जो कि प्रतिवादी क. 3 के पिता द्वारा ईशूलाल से खरीदी थी 18.2.1991 को रजिस्ट्री की गई व खसरा नं. 156/6 रकबा 5 डि. भूमि प्रतिवादी क. 3 व उसके भाई भरत कुमार ने 18.2.1991 को रजिस्ट्री के माध्यम से क्रय की। वादीगण द्वारा वाद सन 2013 में लाया गया है जो अवधि बाह्य है। प्रतिवादी क. 4 द्वारा वर्ष 1995 में

खसरा नं. 156/10 रकबा ढाई डि. भूमि क्रय की जो वर्तमान में खसरा नं. 156/11 है। वादीगण द्वारा चतुर्सीमा भी वाद में नहीं बताई है और ना ही सीमांकन कार्यवाही के बाद तहसीलदार के समक्ष 250 म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन पेश किया है। अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

- वादी साक्षी रामकिशोर (वा.सा. 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 (18)-में स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न रजिस्ट्री के दस्तावेज वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 157/3 मौजा उकवा में स्थित भूमि के केता अमृतलाल व ईशुलाल पिता ज्ञानीराम तथा विकेता गंगाराम पिता जागोबा जाति कोष्ठी साकिन उकवा दर्ज है। रजिस्टर्ड विकयपत्र के रजिस्ट्री स्टाम्प के द्वितीय पृष्ठ के पृष्ठ भाग पर संशोधन क्रमांक— 213 दिनांक 01.3.1968 के द्वारा संशोधन किया जाना उल्लेखित है। साक्षी ने कंडिका-11 में स्वीकार किया है कि अजय के नाम के पहले उक्त वादग्रस्त भूमि पर किस भूमिस्वामी का नाम दर्ज था, ऐसा राजस्व अभिलेख उक्त प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। कंडिका— 12 में यह बताया है कि अमृतलाल व ईशुलाल के फौत होने के बाद प्रतिवादी क. 1, 2 वादग्रस्त भूमि पर मालिक काबिज है। कंडिका–13 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे इस प्रकार से मुख्त्यार की हैसियत से अलग करने या प्रकरण हटाने कोई आवेदन नहीं दिया है। प्रकरण में संलग्न सीमांकन पंचनामा मौके पर बनाया था, बाकि अन्य दस्तावेज राजस्व निरीक्षक कार्यालय में तैयार किये हैं। साक्षी ने कंडिका-14 में स्वीकार किया है कि भरतकुमार व सेवकुमार की शामिल शरीक भूमि का खसरा नं. 156 / 10 है। यह स्वीकारा है कि पंचनामा बनाते समय अजय चौकसे उपस्थित नहीं थे। पंचनामा में सेवकुमार व भारत कुमार के हस्ताक्षर नहीं है। वादी द्वारा सीमांकन के बाद तहसील कार्यालय में कब्जा प्राप्ति के संबंध में कोई कार्यवाहीं नहीं किये है।
- (19)— वादी साक्षी संतोष कुमार (वा.सा. 2) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—7 में स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न रिजस्ट्री के स्टाम्प में वादग्रस्त भूमि मौजा उकवा स्थित भूमि खसरा नं. 157/3 का विकय उल्लेख किया है। केता के स्थान पर अमृतलाल, ईशुलाल तथा विकेता के रूप में गंगाराम एवं गवाह के रूप में सुद्धराम, घसुलाल के नाम

लिखे है। रजिस्ट्री के पिछले पृष्ठ भाग पर संशोधन क्रमांक 213 दिनांक 01.3.1968 अनुसार दाखला पास होना लिखा है। यह स्वीकारा है कि उक्त रजिस्ट्री के आधार पर प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता ने मालिकाना हक प्राप्त किया होगा। उन्हीं रजिस्ट्री दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी क. 1, 2 द्वारा मालिकाना हक प्राप्त कर कब्जा किया हो और उपयोग उपभोग किया जाता हो तो इसकी भी जानकारी उसे नहीं है। कंडिका—11 में स्वीकारा है कि अजय चौकसे सीमांकन के पंचनामा की कार्यवाही में उपस्थित नहीं था। साक्षी ने कंडिका—12 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि से लगी भूमि खसरा नं. 156/10 रकबा ढाई डिसमिल दिनांक 19.4.1995 रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से मालिकाना हक प्राप्त किया है और वर्तमान में भी मालिकाना कबिज है।

वादी साक्षी अजय कुमार (वा.सा. 3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका - 5 में स्पष्ट स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगणों का कब्जा चला आ रहा है। कंडिका–6 में बताया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 157/3 की चतुर्सीमा उत्तर में दानबहादुर ठाकरे वगैरह की मकान हाथाबाड़ी, दक्षिण में सड़क, पूर्व में भी सड़क एवं पश्चिम में ब्रजलाल का मकान है। यह स्वीकारा है कि उसने प्रतिवादीगणों द्वारा शपथपत्र में गालीगलौच, मारपीट की धमकी की बात लिखाया है उसकी कहीं भी शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। कंडिका-7 में स्वीकारा है कि सीमांकन के समय वह मौके पर नहीं था। सीमांकन के समय कौन-कौन थे उसो नहीं मालूम। सीमांकन के समय राजस्व निरीक्षक व हलका पटवारी ने किस व्यक्ति से कौन से दस्तावेज मंगवाया या देखा, नहीं बता सकता। कंडिका-8 में स्वीकार किया है कि संलग्न रजिस्ट्री स्टाम्प में भूमि खसरा नं. 157/3 बिकी होना लेख है जिसमें केता अमृतलाल व ईशुलाल पिता ज्ञानीराम निवासी उकवा तथा विक्रेता गंगाराम पिता जागोबा जाति कोष्ठी निवासी उकवा लेख है। रजिस्ट्री स्टाम्प के द्वितीय प्रति के पृष्ठ भाग पर संशोधन क. 213 संशोधन दिनांक 01.3. 1968 अनुसार दाखला पास होना लेख है तथा प्रकरण में संलग्न स्टाम्प से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नं. 157/3 की खरीदी बिकी हुई है। कंडिका—9 में स्वीकारा है कि संपूर्ण प्रकरण में उसकी ओर से वादग्रस्त भूमि उसके नाम पर कैसे आई ऐसा कोई दस्तावेज नहीं लगाया है। कंडिका-11 में स्वीकार किया है कि 1967 से लेकर अमृतलाल व ईशुलाल भूमि खसरा नं. 157/3 पर मालिक काबिज रहते हुये उपयोग उपभोग किये होगे। सीमांकन का आवेदन उसने किया था और दोनों की अनुपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही हुई थी। कंडिका—12 में स्वीकार किया है कि पूर्व में अमृतलाल व ईशुलाल का कब्जा था और वर्तमान में दानबहादुर व मुरली ठाकरे का कब्जा चला आ रहा है। कंडिका—13 में स्वीकार किया है कि सीमांकन कार्यवाही के समय वह उपस्थित नहीं था। खसरा नं. 156/10 में सेवकुमार, भारत ने विक्रय वर्ष 19.4.1995 में किया था। दिनांक 18 फरवरी 1991 को ईशुलाल पिता दादूलाल से सेवकुमार व भरतकुमार ने जमीन क्रय की।

- वादी की ओर से प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1, पी-2 के (21)-संबंध में वादी साक्षी रामकिशोर (वा.सा. 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—12 में स्वीकार किया है कि वादी ने उसके नाम पर कैसे जमीन आई ऐसा दस्तावेज पटवारी को नहीं दिखाये। वादग्रस्त भूमि पूर्व में किसके नाम की थी वह दस्तावेज उसे देखने का मौका नहीं आया। कंडिका-14 में यह स्वीकार किया है कि रामकुमार अग्रवाल व सेवकुमार अपनी भूमि पर विधिक रूप से काबिज है, जिनका नाम बतौर नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। पंचनामा बनाते समय अजय चौकसे उपस्थित नहीं था। प्रतिवादी कृ. 1, 2 द्वारा पेश दस्तावेज विक्रयपत्र दिनांक 04.12.1967 प्रदर्श डी-1 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि दिनांक 04.12.1967 को को गंगाराम व. जागोबा से प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता अमृतराव व. ज्ञानीराम एवं ईशुलाल व. ज्ञानीराम ने मौजा उकवा खसरा नं. 156/3 में से 0.05डि. एवं खसरा नं. 157/3 में से 0.08डि. भूमि का क्रय किया है एवं संशोधन क. 213 दिनांक 01.3.1968 अनुसार राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.8. 1968 अनुसार दर्ज हुआ है। वादी साक्षी रामकिशोर (वा.सा. 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—12 में स्वीकार किया है कि अमृतलाल व ईशुलाल के फौत होने के बाद प्रतिवादी क. 1, 2 वादग्रस्त भूमि पर काबिज है।
- (22)— उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेज की विवेचना से वादग्रस्त भूमि प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. उकवा मौजा उकवा स्थित खसरा नम्बर 157/3 रकबा 0.12 डिसमिल वादी के मालिकाना हक व अधिपत्य की है और वादग्रस्त भूमि खाली रहने के कारण दान बहादुर,

मुरली ठाकरे, सेवकुमार व राजकुमार अनाधिकृत अवैध निर्माण कर कब्जा प्राप्त किया यह प्रमाणित करने में वादी असफल रहा है। तदानुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 का निष्कर्ष नकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

# विचारणीय बिंदू क. 3 :- 🏡

- (23)— विचारणीय बिन्दु कमांक 3 को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। प्रतिवादी साक्षी दानबहादुर ठाकरे (प्र.सा. 1) के अभिवचन है कि प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता स्व. अमृतलाल ठाकरे व इसुलाल ठाकरे पिता ज्ञानीराम द्वारा मौजा उकवा स्थित खसरा नं. 157/3 में से रकबा 0.08 डि. भूमि मौजा उकवा निवासी गंगाराम पिता जागोबा से 1967 में क्य कब्जा प्राप्त किया था। वादग्रस्त भूमि को विधिवत क्य करने बाद संशोधन क. 213, दिनांक 01.3.1968 अनुसार आदेश दिनांक 10.8.1968 अनुसार नाम दर्ज हुआ तब से प्रतिवादी क. 1, 2 के पिता वादग्रस्त भूमि के मालिक काबिज है।
- प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विक्रयपत्र दिनांक 04.12.1967 प्रदर्श डी—1, पांचसाला खसरा वर्ष 2014—15 प्रदर्श डी—2, विक्रयपत्र दिनांक—19.4.1995 प्रदर्श डी—3, विक्रयपत्र दिनांक—18.2.1991 प्रदर्श डी—4, विक्रय पत्र दिनांक—18.2.1991 प्रदर्श डी—5, विक्रय पत्र दिनांक—19.4.1995 प्रदर्श डी—6, वर्तमान नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—7, खसरा नं. 156/11 के पांचसाला खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—8 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 157/3 रकबा 0.08 डि. प.ह. नं. 25 मौजा उकवा को प्रतिवादी क्रय कर काबिज है।
- (25)— उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों की विवेचना से वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 157/3 रकबा 0.08 डिसमिल प.ह.नं. 25 मौजा उकवा प्रतिवादीगण द्वारा क्रय किया गया। दिनांक 04.12.1967 नामांतरण संशोधन क्रमांक 213 दिनांक 01.03.1967 किया गया है। तद्ानुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 3 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

## सहायता एवं व्यय :-

(26)— उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर वादी के मालिकाना हक व

स्वामित्व की भूमि मौजा उकवा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाध् गट स्थित खसरा नं. 157/3 रकबा 0.12 एकड़ भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया, यह प्रमाणित करने में असफल रहा एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा उकवा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाधाट स्थित खसरा नं. 157/3 रकबा 0.8 एकड़ भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है यह प्रमाणित किया है।

- (27)— परिणामस्वरूप वादी का वाद निरस्त किया जाता है एवं प्रतिवादी क. 1 व 2 का प्रतिदावा आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है कि:—
- 01— वादी वादग्रस्त भूमि मौजा उकवा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 157/3 रकबा 0.08 एकड़ प्रतिवादीगण के कब्जे में दखलान्दाजी नहीं करेगा।
- 02- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेगें।
- 03— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या नियमानुसार जो भी कम हो देय हो।

तद्ानुसार जय-पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (डी.एस.मण्डलोई) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)